निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 17/2025 तारीख दायरा 01.08.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा, राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

रामनारायण पुत्र नन्दलाल जाति नन्दवाना निवासी बोरीनाकलां वगैराह। – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– दिनांक :– 15/12/2025

श्री सरकार पैरोकार (प्रार्थी)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील अप्रार्थीगण)

–: आदेश :–

ग्राम विनोदकलां पटवार हल्का विनोदखुर्द, तहसील सांगोद में ख.न. 157 किस्म गै.मु. रास्ता डामर रोड से ख.न. 255/700 तक रास्ता जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौडाई 4 मीटर है। यह रास्ता ग्राम विनोदकलां की भूमि के ख.न. 206, 217, 218, 219, 224, 223, 212, 216, 220 में से होकर गुजरता है। यह रास्ता उपरोक्त खसरा नम्बरान में से होकर गुजरता है तथा मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार सांगोद द्वारा उक्त कदीमी रास्ते को भू–अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु अनुशंषा सहित

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत किया गया।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण अंतर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज किया जाकर प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि के खातेदारों को नोटिस जारी किये गये। प्रस्तावित रास्ते में आने वाले ख.न. 224, 223, 212, 216, 220 के काश्तकारों द्वारा उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव में हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार उक्त रास्ता कई वर्षो से आवागमन के रूप में उपयोग लिया जा रहा है एवं मौके पर सुचारू रूप से रास्ता चल रहा है। साथ ही उपरोक्त कदीमी रास्ता का सार्वजनिक रूप से उपयोग/उपभोग सभी खातेदारों द्वारा किया जा रहा है। काश्तकारें की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। ख.न. 206, 217, 218, 219 के खातेदार की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इनका जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मय जवाब अनुसार खातेदारी भूमि तक जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होनें तथा आमजन की सुविधा, आत्यतिक आवश्यकता होने से उक्त कदीमी रास्ता को भू–अभिलेख में दर्ज किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण, आवश्यक, उचित विधिसंगत एवं लोकहित में होना बताया है।

अतः राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 (2) राज.–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं क्रमांक 4.3 (17) राज–6/2021पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में चालु स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही के संबंध में उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार (भू.अ.) सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जवाब के आधार पर वृहद्ध लोकहित में निम्न खसरान के सम्मुख उल्लेखित रकबों में से अंकित रकबा की भूमि खातेदारी की आराजी में से कम करते हुए उसी खातें में प्रस्ताव के सलंग्न मौका

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

फर्द दिनांक 17.04.2025 में अंकित नजरी नक्शानुसार गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते है। सलंग्न मौका फर्द दिनांक 17.04.2025 इस आदेश का भाग माना जाए। तहसीलदार सांगोद कॉलम सं. 5 में अंकित प्रस्तावित रकबे को संबंधित खातेदार की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर उक्त आदेश की नियमानुसार अनुपालना करते हुए भू–अभिलेख में अमल दरामद करें एवं बाद अमल दरामद रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद

क्र.स.	ख.न.	रकबा है.	किस्म	रकबा	किस्म
1	206	2.18	चाही तृतीय	2.18 में से 0.08	गै.मु.रास्ता
2	217	2.23	चाही तृतीय	2.23 में से 0.04	गै.मु.रास्ता
3	218	1.11	चाही तृतीय	1.11 में से 0.03	गै.मु.रास्ता
4	219	1.11	चाही तृतीय	1.11 में से 0.02	गै.मु.रास्ता
5	224	2.80	चाही तृतीय	2.80 में से 0.03	गै.मु.रास्ता
6	223	2.08	चाही तृतीय	2.08 में से 0.03	गै.मु.रास्ता
7	212	1.10	चाही तृतीय	1.10 में से 0.024	गै.मु.रास्ता
8	216	1.11	चाही तृतीय	1.11 में से 0.02	गै.मु.रास्ता
9	220	2.22	चाही तृतीय	2.22 में से 0.02	गै.मु.रास्ता

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा